

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी-सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

आसकशाह

बनाम

राजस्थान सरकार

किसम मुकदमा :- प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 151 / 2025

Gcms
2025/378

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तामि
में जारी हुए

17.6.25

आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पेशी में ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सयुक्त खाता में वाके चक 2 जी.डी.एस.एम. के खाता न0 31/77 के पत्थर न0 79/15 (88) के किला न0 2/2, 3, 4, 6 ता 9, 12 ता 19, 23/1, 24/1, 25/2 में 4.302 हैक् कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर न0 80/18 (107) के किला न0 15, 16, 25 में 0.759 हैक् अनकमाण्ड व पत्थर न0 80/26 (106) के किला न0 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 3.542 हैक् अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 8.603 हैक् कमाण्ड/अनकमाण्ड भुमि में प्रार्थी के नाम 1/10 हिस्सा भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थी का हिस्सानुसार कब्जा काशत चला आ रहा है। जैर प्रकरण रकबा प्रार्थी को विरास्तन प्राप्त रकबा है। जैर प्रकरण रकबा में प्रार्थी का नाम आसकशाह पुत्र मोहम्मद अली के स्थान पर आशफअली पुत्र मोहम्मद अली दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम आसकशाह पुत्र मोहम्मद अली है। प्रार्थी के नाम का आधार कार्ड, मुल निवास, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरपंच लेटर पेड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम आसकशाह पुत्र मोहम्मद अली दर्ज है। सयुक्त खाता में प्रार्थी के हिस्से की भुमि में आसकशाह पुत्र मोहम्मद अली दर्ज करने से सहखातेदारों के हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाके चक 2 जी.डी.एस.एम. के खाता न0 31/77 के पत्थर न0 79/15 (88) के किला न0 2/2, 3, 4, 6 ता 9, 12 ता 19, 23/1, 24/1, 25/2 में 4.302 हैक् कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर न0 80/18 (107) के किला न0 15, 16, 25 में 0.759 हैक् अनकमाण्ड व पत्थर न0 80/26 (106) के किला न0 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 3.542 हैक् अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 8.603 हैक् कमाण्ड/अनकमाण्ड भुमि में प्रार्थी के नाम 1/10 हिस्सा खातेदारी भुमि में प्रार्थी का नाम वाके चक 2 जी.डी.एस.एम. के खाता न0 31/77 के पत्थर न0 79/15 (88) के किला न0 2/2, 3, 4, 6 ता 9, 12 ता 19, 23/1, 24/1, 25/2 में 4.302 हैक् कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर न0 80/18 (107) के किला न0 15, 16, 25 में 0.759 हैक् अनकमाण्ड व पत्थर न0 80/26 (106) के किला न0 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 3.542 हैक् अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 8.603 हैक् कमाण्ड/अनकमाण्ड भुमि में प्रार्थी के नाम 1/10 हिस्सा खातेदारी भुमि में दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे।

तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्रस्तुत कर दर्ज प्रार्थी का नाम आशफअली पुत्र मोहम्मद अली के स्थान पर आसकशाह पुत्र मोहम्मद अली करने की अनुशंसा की है एवं उचित बताया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर वाके चक 2 जी.डी.एस.एम. के खाता न0 31/77 के पत्थर न0 79/15 (88) के किला न0 2/2, 3, 4, 6 ता 9, 12 ता 19, 23/1, 24/1, 25/2 में 4.302 हैक् कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर न0 80/18 (107) के किला न0 15, 16, 25 में 0.759 हैक् अनकमाण्ड व पत्थर न0 80/26 (106) के किला न0 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 3.542 हैक् अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 8.603 हैक् कमाण्ड/अनकमाण्ड भुमि में प्रार्थी के नाम 1/10 हिस्सा कृषि भुमि में काशतकार के नाम की प्रविष्टि "आशफअली पुत्र मोहम्मद अली के स्थान पर आसकशाह पुत्र मोहम्मद अली" करने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष अकनं यथावत् रहेंगे। हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। पत्रावली नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी,

सूरतगढ़।